10 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

451

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

निगरानी 851-PBR-15

1. रमेश चंद्र आ० सरदार सिंह यदुवंशी जाति जादम
निवासी ठाकुर बाबा मोहल्ला टिमरनी तह. टिमरनी
जिला हरदा

2. ओमप्रकाश आ० मरदान सिंह यदुवंशी जाति जादम
निवासी शाजापुर जिला शाजापुर

3. अनूप सिंह आ० मरदान सिंह यदुवंशी जाति जादम

4. आनंदी राम आ० मरदान सिंह यदुवंशी जाति जादम

5. कलाबाई बेवा मरदान सिंह यदुवंशी जाति जादम
तीनो निवासी ग्राम गाडाखोडकलाँ तह. टिमरनी जिला हरदा

6. नरबदी पुत्री मरदान सिंह पत्नि देवीसिंह यदुवंशी
जाति जादम

7. द्रौपती बाई पुत्री मरदान सिंह पत्नि सालकराम यदुवंशी
निवासी सुरगी तह. सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद ---निगरानीकर्तागण

श्री संदीप डबे अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत 15/4/15 20-4-15

बनाम

1. भीजराम आ० सीताराम यदुवंशी जाति जादम
निवासी नयागांव तहसील टिमरनी जिला हरदा ----

2. अकलसिंह उर्फ अमर सिंह आ० केसरे सिंह यदुवंशी जाति जादम

3. विक्रम सिंह आ० सीताराम यदुवंशी जाति जादम

4. डेमराज आ० सीताराम यदुवंशी जाति जादम
तीनो निवासी ग्राम नयागांव तह. टिमरनी जिला हरदा

5. [illegible]

6. प्रभागा पुत्री सरदार सिंह पत्नि शिवप्रसाद यदुवंशी
जाति जादव , निवासी शिवनीमालवा जिला होशंगाबाद

7. अनीता पुत्री सरदार सिंह पत्नि जितेन्द्र यदुवंशी जाति जादव

8. पुष्पाबाई पुत्री सरदार सिंह पत्नि जवाहरलाल यदुवंशी
जाति जादव

9. निर्मलाबाई पुत्री सीताराम पत्नि रविशंकर यदुवंशी जाति जादव
निवासी नंदियाखेड़ा तहसील रेहटी जिला सीहोर म.प्र.

10. सोनाबाई बेवा सरदार सिंह यदुवंशी जाति जादव
निवासी ठाकुर बाबा मोहल्ला टिमरनी तहसील टिमरनी जिला हरदा

11. उर्मिलाबाई पुत्री सरदार सिंह पत्नि धनराज यदुवंशी
जाति जादव

12. सावित्रीबाई पुत्री सीताराम पत्नि रामभरोस निवासी
प्रतापपुरा तहसील <u>नयाहरसूद</u> जिला खण्डवा म.प्र.

13. निर्मला पुत्री सरदार सिंह पत्नि जगदीश यदुवंशी जाति जादव
निवासी देवलजी ,तहसील <u>नयाहरसूद</u> जिला खण्डवा

14. भास्कर बाई पुत्री सीताराम पत्नि सोमा यदुवंशी जाति जादव
निवासी शिवकालोनी आईटीआई रोड मकान नं. 23 होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद म.प्र. —————————— उत्तरवादीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

उपरोक्त निगरानी निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. ~~17-वर्ष-13~~ 17/अपील/13-14 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 10.3.2015 से परिवेदित प्रभावित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-851-पीबीआर/2015 जिला हरदा रमेशचंद्र विरूद्ध भोजराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री संदीप दुबे उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी के प्रकरण क्रमांक 17/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 10-03-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 15-04-2015 को पुनरीक्षण याचिका कैम्प भोपाल पर प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर हरदा के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर हरदा को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर हरदा के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर हरदा के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 30/01/19
सदस्य